

नोट- समाज के विकलांगजनों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यतन, नवीनतम विद्यमान शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

आरक्षण / आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट -8 में मुद्रित तथा वैबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा आवेदन की तिथि तक जारी किया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब वे आयोग को प्रस्तुत करें।

11- शारीरिक स्वस्थता- (1)- व्यायाम प्रशिक्षक तथा क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पदों हेतु किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में फंडामेंटल रूल -10 के अधीन बनाये गये और वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड -2 भाग-2 के अध्याय-3 में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करें।

(2)- व्यायाम प्रशिक्षक और क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित न्यूनतम शारीरिक स्वस्थता के मापदंड की अपेक्षा की जायेगी :-

(क)

पुरुष अभ्यर्थी

(व्यायाम प्रशिक्षक और क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी हेतु)

(1)

ऊंचाई		सेमी. में (न्यूनतम)
(क)	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए	160 सेमी.
(ख)	अन्य अभ्यर्थियों के लिए	167.7 सेमी.

(2)

सीना		बिना फुलाये (सेमी.में)	फुलाने पर (सेमी.में)
(क)	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों	76.5 सेमी.	81.3 सेमी.
(ख)	अन्य अभ्यर्थियों के लिए	78.8 सेमी.	83.8 सेमी.

(ख)

महिला अभ्यर्थी

(व्यायाम प्रशिक्षक और क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी हेतु)

(1)

ऊंचाई		सेमी. में (न्यूनतम)
(क)	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए	147 सेमी.
(ख)	अन्य अभ्यर्थियों के लिए	152 सेमी.

4

3- व्यायाम प्रशिक्षक पद के लिए शारीरिक पात्रता परीक्षा-

अभ्यर्थी से यथा विहित अर्हकारी प्रकृति की निम्नलिखित शारीरिक पात्रता परीक्षा भी पास करने की अपेक्षा की जायेगी -

पुरुष अभ्यर्थियों के लिए

(क) भारतीय व्यायाम

क०सं०	मद का नाम	अधिकतम अंक	न्यूनतम अपेक्षित अंक
1.	मलखम्ब	25 अंक	अभ्यर्थी को समस्त तीन मदों में न्यूनतम 50 अंक अवश्य प्राप्त करना चाहिए।
2.	आसन	25 अंक	
3.	मुगदर	25 अंक	

(ख) जिम्नास्टिक

क०सं०	मद का नाम	अधिकतम अंक	न्यूनतम अपेक्षित अंक
1.	पैरेलल -बार	25 अंक	अभ्यर्थी को समस्त पाँच मदों में न्यूनतम 75 अंक अवश्य प्राप्त करना चाहिए।
2.	होरिजेंटल बार	25 अंक	
3.	वालटिंग हार्स	25 अंक	
4.	पामेल्ड हार्स	25 अंक	
5.	फ्लोर एक्सरसाईज़	25 अंक	

महिला अभ्यर्थियों के लिए

(क) भारतीय व्यायाम

क०सं०	मद का नाम	अधिकतम अंक	न्यूनतम अपेक्षित अंक
1.	मलखम्ब रोप	25 अंक	अभ्यर्थी को समस्त तीन मदों में न्यूनतम 40 अंक अवश्य प्राप्त करना चाहिए।
2.	आसन	25 अंक	
3.	स्कीपिंग रोप	25 अंक	

(ख) जिम्नास्टिक

क०सं०	मद का नाम	अधिकतम अंक	न्यूनतम अपेक्षित अंक
1.	पैरमलल -बार	35 अंक	अभ्यर्थी को समस्त चार मदों में न्यूनतम 65 अंक अवश्य प्राप्त करना चाहिए।
2.	वालटिंग हार्स	30 अंक	
3.	बैलेंसिंग बीम	30 अंक	
4.	अनीवन बार्स	30 अंक	

4- क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी पद के लिए शारीरिक पात्रता परीक्षा-

अभ्यर्थी से यथा विहित अर्हकारी प्रकृति की निम्नलिखित शारीरिक पात्रता परीक्षा भी पास करने की अपेक्षा की जायेगी -

(क)

पुरुष अभ्यर्थियों के लिए

क०सं०	मद का नाम	न्यूनतम मानक समय	अधिकतम अंक	न्यूनतम अपेक्षित अंक
1.	200 मीटर दौड़	30 सेकेण्ड 28 सेकेण्ड 26 सेकेण्ड 24 सेकेण्ड	10 15 20 25	10

4

2.	लम्बी कूद	3.5 मीटर	10	10
		4.00 मीटर	15	
		4.5 मीटर	20	
		5.00 मीटर	25	
3.	ऊंची कूद	1.05 मीटर	10	10
		1.20 मीटर	15	
		1.35 मीटर	20	
		1.50 मीटर	25	
4.	गोला फेंक	6.00 मीटर	10	10
		7.00 मीटर	15	
		8.00 मीटर	20	
		9.00 मीटर	25	

(ख)

महिला अभ्यर्थियों के लिए

क्र.सं०	मद का नाम	न्यूनतम मानक स्कोर	अधिकतम अंक	न्यूनतम अपेक्षित अंक
1.	200 मीटर दौड़	34 सेकेण्ड	10	10
		32 सेकेण्ड	15	
		30 सेकेण्ड	20	
		28 सेकेण्ड	25	
2.	लम्बी कूद	3.00 मीटर	10	10
		3.50 मीटर	15	
		4.00 मीटर	20	
		4.50 मीटर	25	
3.	क्रिकेट बॉल थ्रो	12.00 मीटर	10	10
		13.00 मीटर	15	
		13.5 मीटर	20	
		14.00 मीटर	25	
4.	स्कीपिंग रोप (रस्सी कूदना) प्रति मिनट	55 बार	10	10
		60 बार	15	
		65 बार	20	
		70 बार	25	

टिप्पणी-(1) प्रस्तर-11 के 4 (क) व (ख) में अंकित समस्त चार मदों में न्यूनतम 45 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी सफल माने जाएंगे और यदि कोई अभ्यर्थी केवल तीन मदों में उपस्थित होता है और 45 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो वह भी सफल माना जाएगा/जायेगी।

(2)- असफल अभ्यर्थियों के स्थान पर नये अभ्यर्थी रख दिये जाएंगे।

(3)- शारीरिक पात्रता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी शासन के अनुमोदन से आयोग द्वारा विहित की जाय।

व्यायाम प्रशिक्षक व क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी हेतु विहित चयन का आधार - प्रश्नगत पदों पर चयन (क) लिखित परीक्षा (ख) शारीरिक पात्रता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

✍